

न्यायालय :- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड मध्य-प्रदेश

प्रकरण क्रमांक 189/2011 सत्रवाद
संस्थित दिनांक 04.08.2011

मध्य प्रदेश शासन द्वारा पुलिस थाना
एण्डोरी, जिला भिण्ड म0प्र0।

-----अभियोजन

बनाम

1. देवीसिंह उर्फ गुड्डू पुत्र इंदलसिंह तोमर उम्र 44 वर्ष।
2. सुनील सिंह तोमर पुत्र देवीसिंह उर्फ गुड्डू तोमर उम्र 25 वर्ष।
3. सन्जु उर्फ संजयसिंह तोमर पुत्र सोबरनसिंह उम्र 29 वर्ष।
4. सोवरनसिंह तोमर पुत्र इन्दलसिंह तोमर, उम्र 54 वर्ष।
5. किशनपाल सिंह तोमर पुत्र अमरसिंह तोमर उम्र 45 वर्ष।
6. प्रीतमसिंह तोमर पुत्र गंगासिंह, उम्र 45 वर्ष।
7. पप्पू उर्फ इन्द्रसिंह तोमर पुत्र सूवेदारसिंह उम्र 55 वर्ष।
8. सामंतसिंह तोमर पुत्र जयेन्द्र सिंह, उम्र 25 वर्ष।
9. टोनी उर्फ नरेन्द्र सिंह पुत्र गुड्डू उर्फ देवीसिंह तोमर उम्र 23 वर्ष।

-----अभियुक्तगण

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद श्री मनीष शर्मा
के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र0कं0 567/2011 इ0फौ0
से उद्भूत यह सत्र प्रकरण क्र0 189/2011

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर।
अभियुक्तगण द्वारा श्री जी0एस0 गुर्जर अधिवक्ता।

// नि - र्ण - य //

// आज दिनांक 29-09-2016 को घोषित किया गया //

01. आरोपी देवीसिंह उर्फ गुड्डू एवं संजू उर्फ संजय का विचारण धारा 307 विकल्प में धारा 307/149, 148, भा0दं0वि0 एवं धारा 25(1-बी)ए एवं धारा 27 आयुध अधिनियम के आरोप के संबंध में किया जा रहा है। आरोपी प्रीतमसिंह का विचारण धारा 307/149, 147 भा0दं0वि0 के आरोप के संबंध में किया जा रहा है। जबकि शेष आरोपीगण पप्पू उर्फ इन्द्रसिंह, सुनीलसिंह, सोबरनसिंह, टोनी उर्फ नरेन्द्र, किशनपाल, सामन्तसिंह, का विचारण धारा 307/149, 148 भा0दं0वि0 के आरोप के संबंध में किया जा रहा है। आरोपीगण पर यह आरोप है कि दिनांक 04.02.2010 के दिन के तीन बजे करीब ग्रामा खनेता में केशवसिंह पवैया के मकान के सामने रोड पर आरोपगण के द्वारा विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया जिसका सामान्य उद्देश्य आहत जितेन्द्र, बीरेन्द्र व अन्य आहतों पर बल व हिंसा प्रयोग करने का था इस दौरान उनके द्वारा बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया, इस दौरान आरोपी प्रीतम को छोड़कर शेष आरोपीगण घातक आयुधों से सुसज्जित होकर बलवा कारित किया और आरोपी प्रीतम ने इस दौरान विधि विरुद्ध समूह का सदस्य रहते हुए उसके सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल व हिंसा का प्रयोग करने के संबंध में आरोप है। आरोपीगण देवीसिंह व संजू उर्फ संजय पर यह भी आरोप है कि आरोपी देवीसिंह के द्वारा आहत बीरेन्द्रसिंह पर तथा संजय उर्फ संजू के द्वारा आहत जितेन्द्र पर कट्टा से फायर इस आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में किया कि यदि उनके मृत्यु हो जाती तो वे हत्या के दोषी होते। उक्त दोनों आरोपीगण पर बैकल्पिक रूप से तथा शेष आरोपीगण पर यह भी आरोप है कि उनके द्वारा उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य रहते हुए जिसका कि सामान्य उद्देश्य आहत जितेन्द्र, बीरेन्द्र, शैलेन्द्र व फौदल को प्राणघातक उपहति कारित करने का था और इस आशय व ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में कि यदि उनकी मृत्यु हो जाती तो वह हत्या के दोषी होते और इस दौरान सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में उनमें से किसी या कुछ या सभी सदस्यों के द्वारा कट्टा व लाठी से मारपीट कर आहतों को उपहति कारित की। आरोपी देवीसिंह व संजू उर्फ संजय पर यह भी आरोपीगण है कि अपने आधिपत्य में अग्नेयशस्त्र देशी कट्टा बिना अनुज्ञप्ति के रखे हुए थे एवं उनके द्वारा उक्त अग्नेयशस्त्र का उपयोग अपराध कारित करने में किया।

02. अभियोजन प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि दिनांक दिनांक 04.02.2010 को दिन के तीन बजे करीब फरियादी/रिपोर्टकर्ता बीरेन्द्रसिंह जो कि ग्राम खनेता थाना

एण्डोरी का निवासी है अपने बारे से लूसन का गट्टा रखकर घर आ रहा था। जैसे ही रास्ते में गांव के केशवसिंह पवैया के मकान के सामने रोड पर आया पीछे से आरोपी सोवरनसिंह, संजू, गुड्डू उर्फ देवीसिंह व किशनपाल कट्टा लिए, सुनील, टोनी, नरेन्द्र, प्रीतम लाठी लेकर आए तब बेवी पत्नी किशनपाल ने कहा कि अब क्या देख रहे हो मारा सालो को कोई बचा न पाए। आरोपीगण ने उसे मिलकर घेर लिया। सोबरन तथा संजू ने जितेन्द्र को गोली मारी जो जितेन्द्र के गुप्तांगों में लगी, सोवरनसिंह ने गोली मारी जो फौदल के बाएं पैर के घुटने में लगी और आरोपी गुड्डू के द्वारा गोली मारी जो फरियादी के दाहिने हाथ की उंगली के पास लगी और किशनपाल ने भी गोली मारी जो फरियादी की पीठ में लगी। पत्तली को आरोपी पप्पू, सुनील व टोनी ने लाठियों से मारपीट की। मौके पर छोटेसिंह व विनोद सिंह आ गए थे जिन्होंने घटना देखी थी। घटना के बाद आरोपीगण भाग गए। आहतगण जिन्हें कि घटना के दौरान चोटें आई थी वह इलाज के लिए गोहद अस्पताल आ गए थे, गोहद अस्पताल में ही पुलिस थाना एण्डोरी के द्वारा लिखित आवेदनपत्र पेश किये जाने पर पुलिस के द्वारा अस्पताल गोहद में देहातीनालसी रिपोर्ट अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 307 भा.दं.वि का लेखबद्ध किया गया जो कि बाद में असल कायमी अपराध क्रमांक 17/2010 प्र.पी. 26 के अनुसार पुलिस थाना एण्डोरी में कायम किया गया। आहतों का चिकित्सीय परीक्षण किया गया। आहत बीरेन्द्र और जितेन्द्र को इलाज हेतु ग्वालियर रिफर किया गया। प्रकरण की विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया। आरोपी देवीसिंह को गिरफ्तार कर उसके मेमोरेण्डम कथन के आधार पर 12 बोर का कट्टा जप्त किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। प्रकरण की अग्रिम विवेचना में आरोपी संजू उर्फ संजय कुमार को गिरफ्तार कर उसके मेमोरेण्डम कथन के आधार पर 315 बोर के कट्टा की बरामदगी की गई तथा आरोपी सुनील को गिरफ्तार कर उससे बांस की लाठी जप्त की गई। आरोपी प्रीतम, पप्पू उर्फ इन्द्रसिंह, सामंतसिंह को गिरफ्तार किया गया। जप्तशुदा कट्टों को परीक्षण हेतु भेजा गया। आरोपीगण देवीसिंह और संजय से जप्तशुदा अवैध कट्टे के संबंध में अभियोजन चलाए जाने की स्वीकृति प्राप्त की गई। प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना उपरांत विचारण हेतु अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया जो कि कमिट होने के उपरांत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

03. आरोपीगण देवीसिंह व संजू उर्फ संजय के विरुद्ध धारा 307 विकल्प में धारा 307/149, 148 भा0दं0वि0 एवं धारा 25(1-बी)ए एवं धारा 27 आयुध अधिनियम का आरोप एवं अन्य आरोपी प्रीतम सिंह के विरुद्ध धारा 307/149, 147 भा.दं.वि का आरोप एवं शेष आरोपीगण पप्पू उर्फ इन्द्रसिंह, सुनीलसिंह, सोबरनसिंह, टोनी उर्फ नरेन्द्र, किशनपाल,

सामन्तसिंह, का विचारण धारा 307/149, 148 भा0दं0वि0 का आरोप पाये जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया उनकी प्ली लेखबद्ध की गई।

04. धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष होना बताते हुए झूठा फंसाया जाना अभिकथित किया है। बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है।

05. आरोपीगण के विरुद्ध विचारित किए जा रहे अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:-

1. क्या आरोपीगण के द्वारा दिनांक 04.02.2010 के दिन के तीन बजे करीब ग्राम खनेता में केशवसिंह पवैया के मकान के सामने रोड पर द्वारा विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया जिसका सामान्य उद्देश्य आहत जितेन्द्र, बीरेन्द्र व अन्य आहतों पर बल व हिंसा प्रयोग करने का था इस दौरान उनके द्वारा बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया और इस दौरान आरोपी प्रीतम को छोड़कर शेष आरोपीगण घातक आयुधों से सुसज्जित थे?
2. क्या आरोपी प्रीतम के द्वारा इस दौरान विधि विरुद्ध समूह का सदस्य रहते हुए उसके सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया?
3. क्या आरोपी देवीसिंह के द्वारा आहत बीरेन्द्रसिंह पर तथा संजय उर्फ संजू के द्वारा आहत जितेन्द्र पर कट्टा से फायर इस आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में किया कि यदि उनके मृत्यु हो जाती तो वे हत्या के दोषी होते?
4. क्या आरोपीगण के द्वारा इस दौरान सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कार्य करते हुए उनमें से किसी या कुछ या सभी सदस्यों के द्वारा कट्टा व लाठी से मारपीट कर आहतों राजेन्द्र, सुरेश एवं शैलेन्द्र को उपहति कारित की?
5. क्या आरोपी देवीसिंह अपने आधिपत्य से 12 बोर का देशी कट्टा व एक जिंदा राउण्ड एवं आरोपी संजू उर्फ संजय 315 बोर का कट्टा अपने आधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञप्ति के रखे हुए पाए गए?
6. क्या उक्त दोनों आरोपीगण के द्वारा उक्त अग्नेयशस्त्रों का उपयोग घटना कारित करने में किया गया?

—: सकारण निष्कर्ष:—

बिन्दु क्रमांक 1 लगायत 4 :-

06. डॉक्टर आलोक शर्मा अ0सा0 4 के द्वारा दिनांक 04.02.2010 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ दौरान आहत बीरेन्द्र पुत्र रोकमसिंह पवैया निवासी खनेता का मेडीकल परीक्षण किया था जिसे कि दाएं हाथ के तर्जनी उंगली में फटा हुआ घाँव 0.5 गुणा 0.4 से.मी. आकार का घाँव था जिससे खून बह रहा था एवं पेट में टुण्डी के उपर फटा हुआ घाँव 0.6 गुणा 0.5 से.मी. आकार का था जिसके किनारे अंदर की तरफ मुड़े हुए थे। साक्षी के द्वारा अभिमत में बताया गया है कि चोट क्रमांक 1 कडे एवं भौतरी वस्तु से एवं चोट क्रमांक 2 अग्नेयशस्त्र से कारित होना संभव थी जो कि 6 घण्टे के भीतर की थी। आहत को उपचार हेतु जे.ए.एच. ग्वालियर रेफर किया गया था। मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 6 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं।

07. उक्त साक्षी के द्वारा उसी दिनांक को आहत जितेन्द्र पुत्र रूकमसिंह पवैया का मेडीकल परीक्षण किया था जिसे निम्न चोटें पाई थी— (1) लिंग के उपर फटा हुआ घाँव 0.5 गुणा 1.5 गुणा 0.1 से.मी. आकार का घाँव जिसकी चमड़ी उधड़ी थी। (2) अण्डकोष के उपर फटा हुआ घाँव 0.5 गुणा 0.3 गुणा 0.2 से.मी. का था जिसके लिए एक्सरे की सलाह दी थी। (3) अण्डकोष के उपर फटा हुआ घाँव जिसका आकार 0.5 गुणा 0.3 गुणा 0.3 का था। (4) दाईं जाँघ पर पीछे की तरफ फटा हुआ घाँव 0.8 से.मी. गुणा 0.6 से.मी. का था जिसके किनारे अंदर की तरफ मुड़े हुए थे। उक्त चोट के लिए एक्सरे की सलाह दी थी। (5) दाईं जाँघ पर अंदर की तरफ 0.8 से.मी. गुणा 0.8 से.मी. फटा हुआ घाँव जिसके किनारे बाहर की तरफ मुड़े हुए थे। साक्षी के द्वारा अभिमत में बताया है कि चोटें अग्नेयशस्त्र से कारित होना संभव है तथा परीक्षण के 6 घण्टे के अंदर की थी। आहत को उपचार हेतु जे.ए.एच. ग्वालियर रेफर किया गया था। उनके द्वारा तैयार मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी. 7 है जिसके ए से ए भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

08. उक्त साक्षी के द्वारा उसी दिनांक को लाए जाने पर सुरेश पुत्र रूकमसिंह निवासी खनेता का परीक्षण किया था जिसे सिर के पीछे तरफ छिला हुआ घाँव जिसका आकार 1 गुणा 0.3 से.मी. का था एवं बाईं पिंडली में अंदर की तरफ 2.5 गुणा 0.8 से.मी. छिला हुआ घाँव था तथा बाएं हाथ के अंगूठे के नीचे के भाग में नील का निशान था जिसका आकार 1 गुणा 0.8 से.मी. था। साक्षी के द्वारा अभिमत में बताया है कि आहत को आई चोट साधारण प्रकृति की होकर कडे तथा भौतरी वस्तु से आना संभव थी जो कि परीक्षण के 6 घण्टे

के अंदर कथी । मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी. 8 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। उसी दिनांक को आहत राजेन्द्र पुत्र मोतीसिंह तोमर निवासी खनेता का मेडीकल परीक्षण किया था जिसे कि निम्न चोटें पाई थी— आहत के बाएं घुटने पर 3 गुणा 3.5 से.मी. का छिला हुआ घाव था जो कि साधारण प्रकृति का होकर कड़े एवं भौतरी वस्तु से आना संभावित था तथा परीक्षण के 6 घण्टे भीतर का था। उनके द्वारा तैयार मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी. 9 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं।

09. साक्षी ने आगे यह भी बताया है कि उसी दिनांक को आहत शैलेन्द्र पुत्र केशवसिंह को आई हुई चोटों का मेडीकल परीक्षण किया था जिसे कि निम्न चोटें पाई गई— आहत के दाईं कोहनी पर 3 गुणा 2 से.मी. का नील का निशान था एवं दाईं पिंडली पर 2 गुणा 1.5 से.मी. का नील का निशान था। आहत को आई चोटें साधारण प्रकृति की होकर कड़े एवं भौतरी वस्तु से आना संभावित थे जो कि परीक्षण के 6 घण्टे के अंदर की थी। जिस संबंध में मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी. 10 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं।

10. उक्त साक्षी के द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा आहत जितेन्द्र की चोटों के संबंध में एम.एल.सी. की क्वेरी कराई गई थी जिसमें पूछा गया था कि क्या आहत के द्वारा पहने गए कपड़ों पर जो छेद थे वह आहत के शरीर पर मौजूद निशानों से मेल खा रहे थे या नहीं जिसका जबाव उनके द्वारा 'हाँ' में दिया गया था। आहत को लगी गोली 3 से 6 फीट की दूरी से चलाई गई होगी। उनके द्वारा तैयार क्वेरी रिपोर्ट प्र.पी. 11 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं।

11. इस प्रकार चिकित्सक डॉक्टर आलोक शर्मा के कथन से स्पष्ट होता है कि घटना पश्चात् आहतगण के शरीर पर उपरोक्त बताए अनुसार चोटें मौजूद थीं। अब विचारणीय यह हो जाता है कि — क्या घटना दिनांक को घटना समय स्थान पर आरोपीगण के द्वारा विधि विरुद्ध जमाव का गठन उसके सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कार्य करते हुए बलवा कारित किया? क्या आरोपीगण के आहत बीरेन्द्र व जितेन्द्र की हत्या करने का प्रयत्न किया गया एवं क्या आहतों राजेन्द्र, शैलेन्द्र व सुरेश को उपहति कारित की? क्या सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में उक्त घटना कारित की गई?

12. घटना दिनांक को घटना समय व स्थान पर आरोपीगण के द्वारा घातक आयुधों से सुसज्जित होकर बलवा कारित करने का जहाँ तक प्रश्न है, विधि विरुद्ध जमाव के गठन हेतु पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का जमाव जिनका कि सामान्य उद्देश्य धारा 141 भा0दं0वि0 के अंतर्गत दर्शाया गया अपराध को करने का है, आवश्यक है तभी धारा 147 अथवा

148 भा0द0वि0 की परिधि में अपराध आएगा।

13. घटना के फरियादी बीरेन्द्रसिंह अ0सा0 1 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में अभियोजन प्रकरण जिस प्रकार से होना बताया जा रहा है उसका समर्थन नहीं किया गया है। साक्षी के द्वारा यद्यपि घटना दिनांक को बोर पर से घर आते समय रास्ते में गांव वालों के साथ लड़ाई होना बताया है और जिन लोगों ने उसकी मारपीट की थी वह ग्राम खनेथा के होना बताया है, किन्तु साक्षी के द्वारा घटना में आरोपीगण के संलग्न होने या उनके द्वारा कोई घटना कारित किये जाने के संबंध में कोई तथ्य नहीं बताया है। घटना की रिपोर्ट के संबंध में साक्षी के द्वारा यह बताया गया है कि रिपोर्ट प्र.पी. 1 और देहातीनालसी रिपोर्ट प्र.पी. 2 में उसके हस्ताक्षर करा लिए थे। रिपोर्ट उसके द्वारा नहीं लिखाई गई थी। अभियोजन के द्वारा फरियादी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किन्तु इस दौरान उक्त साक्षी के द्वारा घटना में आरोपीगण की मौजूदगी अथवा उनके द्वारा कोई कृत्य किये जाने के संबंध में अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है। साक्षी ने पुलिस को की गई रिपोर्ट एवं उसके द्वारा पुलिस को दिए गए धारा 161 के कथनों में आरोपीगण को घटना में लिप्त करने के संबंध में आए हुए तथ्यों से भी इन्कार किया है।

14. घटना के संबंध में घटना का अन्य आहत जितेन्द्र अ0सा0 2 जिस पर कि प्राण घातक हमला किया जाना बताया गया है, के द्वारा भी घटना दिनांक को केशवसिंह के दरवाजे पर दो पक्षों का झगडा हो जाना और झगडा के संबंध में आवाज सुनने पर दौड़कर मौके पर आना और भीड में से गोली चलना जो कि गोली उसे गुप्तांगों में लगना बताया है, किन्तु उक्त आहत साक्षी के द्वारा भी आरोपीगण या किसी आरोपी के घटनास्थल पर मौजूद होने अथवा उनके द्वारा किसी प्रकार से कोई घटना कारित किये जाने के संबंध में अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है। उक्त साक्षी को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किन्तु इस दौरान भी साक्षी के कथनों में कहीं भी आरोपीगण को घटना में लिप्त करने वाला कोई भी तथ्य नहीं आया है। साक्षी के द्वारा पुलिस को दिए गए धारा 161 दं.प्र.सं. के कथनों जिसमें कि आरोपीगण की घटना में संलिप्त होने के संबंध में तथ्य आया है, इस प्रकार का कोई कथन न देना सूचक प्रकार के प्रश्नों के दौरान बताया है।

15. घटना में बताए गए अन्य आहतगण जिन पर कि प्राण घातक हमला करना बताया गया है। साक्षी शैलेन्द्र अ0सा0 6 एवं राजेन्द्र उर्फ फौदल अ0सा0 8 के कथनों में भी आरोपीगण अथवा किसी आरोपी के घटनास्थल पर मौजूद होने अथवा उनके द्वारा किसी प्रकार से घटना कारित करने में भाग लिए जाने के संबंध में कोई तथ्य नहीं आया है। उक्त

दोनों साक्षीगण को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किन्तु इस दौरान उनके कथनों में भी अभियोजन प्रकरण को समर्थन या पुष्ट करने वाला कोई भी तथ्य नहीं आया है। घटना का अन्य आहत सुरेशसिंह अ0सा0 9 ने उसे पत्थर लगने से सिर में चोट आने के संबंध में बताया है, किन्तु उक्त साक्षी के द्वारा भी आरोपीगण की घटना में संलग्न होने या उनके द्वारा किसी प्रकार की घटना कारित किये जाने के संबंध में कोई समर्थन नहीं किया गया है। उक्त साक्षी को भी अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

16. घटना के चक्षुदर्शी बताए गए साक्षी केशवसिंह अ0सा0 3 के द्वारा घटना दिनांक को गांव में लड़ाई झगडा होना और इस दौरान गोली चलना, गोली जितेन्द्र और लला उर्फ बीरेन्द्र को लगने के संबंध में बताया है। यद्यपि साक्षी गोली किस के द्वारा मारी गई इस संबंध में कोई भी बात नहीं बता पाया है। उक्त साक्षी को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। घटना के अन्य चक्षुदर्शी बताए गए साक्षी छोटेसिंह अ0सा0 12 एवं विनोदसिंह अ0सा0 13 दोनों के द्वारा आरोपीगण को जानना पहचानना स्वीकार करते हुए बताया है कि घटना तीन बजे के समय की है, वह अपने घर पर थे और लड़ाई झगडा और कट्टे के फायर की आवाज सुनाई देने पर भागकर वह पहुँचे तो वहाँ देखा कि बीरेन्द्र और जितेन्द्र जमीन पर पड़े हुए थे और उन्हें गोली लगी हुई थी और खून निकल रहा था। जितेन्द्र के गुप्तांग और बीरेन्द्र के पेट में गोली लगी थी। उक्त दोनों साक्षियों के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया जा रहा है कि घटनास्थल पर उन्हें आरोपीगण दिखे थे और उनके द्वारा बीच बचाव किये जाने पर आरोपीगण घटनास्थल से भाग गए थे। आहतों को उनके एवं अन्य लोगों के द्वारा गोहद लाना साक्षी बता रहे हैं।

17. साक्षी शिवराजसिंह अ0सा0 10 जो कि घटना के समय पुलिस को दिए गए आवेदनपत्र प्र.पी. 1 के लेखक है और प्र.पी. 1 का आवेदनपत्र उनकी हस्तलिपि में लिखा हुआ है उनके द्वारा यह बताया गया है कि वह कोर्ट से घर बापस जा रहे थे तब अस्पताल के सामने रोड पर गांव के लोग मिले थे तो वह भी देखने अस्पताल में चले गए थे। अस्पताल में भीड़ भाड़ थी और भीड़ वालों ने उन्हें आवेदनपत्र लिखने को कहा था तो उन्होंने आवेदनपत्र लिख दिया था। इस प्रकार उक्त साक्षी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है।

18. घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट देहातीनालसी 0/10 धारा 147, 148, 149, 307 भा0दं0वि0 बीरेन्द्रसिंह के लेखीय आवेदनपत्र के आधार पर पंजीबद्ध करना देवलाल धनेले तत्कालीन थाना प्रभारी थाना एण्डोरी के द्वारा बताया गया है तथा देहातीनालसी के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना एण्डोरी में लेखबद्ध करना जो कि

अपराध क्रमांक 17/10 धारा 147, 148, 149, 307 भा.दं.वि प्र.पी. 26 हरगोविंद सिंह अ0सा0 17 के द्वारा भी बताया गया है। साक्षी संजीव दुवे अ0सा0 18 जो कि अग्रिम विवेचनाधिकारी है के द्वारा आरोपी संजय उर्फ संजू एवं आरोपी सुनील से जप्ती करने के संबंध में बताया है और साक्षी जसबंत, रिकू बीरेन्द्र के कथन लेखबद्ध करना बताया है।

19. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त समग्र साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि घटना के आहतगण बीरेन्द्रसिंह अ0सा0 1, जितेन्द्र अ0सा0 2, सुरेश, राजेन्द्रसिंह, शैलेन्द्र के कथनों में कहीं भी वर्तमान में विचारित किये जा रहे आरोपीगण के द्वारा घटना में किसी प्रकार से भाग लिए जाने अथवा उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई मारपीट की जाने का कोई समर्थन नहीं किया गया है। इस प्रकार घटना के फरियादी व आहतों के द्वारा आरोपीगण की घटनास्थल पर मौजूदगी अथवा उनके द्वारा कोई घटना कारित किए जाने के संबंध में अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन या पुष्टि नहीं की है।

20. इस संबंध में अभियोजन साक्षी छोटेसिंह अ0सा0 12 एवं विनोद सिंह अ0सा0 13 के कथन का जहाँ तक प्रश्न है, उक्त साक्षीगण घटनास्थल पर आरोपी को देखने एवं उनके द्वारा बीच बचाव किया जाना और आरोपीगण के घटनास्थल से भाग जाने के संबंध में अपने मुख्य परीक्षण में बताया है, किन्तु प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षियों के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि उन्होंने हाजिर अदालत आरोपीगण को घटनास्थल पर घटना कारित करते हुए अथवा भागते हुए नहीं देखा था। ऐसी दशा में उक्त साक्षी छोटेसिंह अ0सा0 12 और विनोद अ0सा0 13 के मुख्य परीक्षण में आए हुए कथन के आधार पर कि घटना दिनांक को उन्होंने आरोपीगण को घटनास्थल पर देखा था और उनके बीच बचाव करने पर आरोपीगण घटना स्थल से भाग गए थे के आधार पर आरोपीगण के घटना में संलग्न होने अथवा उनके द्वारा ही अपराध कारित किए जाने के संबंध में अभियोजन प्रकरण की प्रामाणिकता सिद्ध होनी नहीं मानी जा सकती है।

21. इस प्रकार जबकि घटना के संबंध में घटना के फरियादी एवं आहत साक्षीगण तथा घटना के चक्षुदर्शी साक्षियों के कथनों के आधार पर आरोपीगण के घटना में संलग्न होने अथवा उनके द्वारा कोई घटना कारित किए जाने की का कोई समर्थन होना नहीं पाया जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में मात्र चिकित्सक डॉक्टर आलोक शर्मा अ0सा0 4 के कथन के आधार पर कि आहतों के शरीर पर उनके द्वारा चोटें पाई गई थी के परिप्रेक्ष्य में ऐसा प्रमाणित नहीं होता है कि आहतों को उपरोक्त बताई गई चोटें आरोपीगण के द्वारा ही कारित की गई हो।

22. अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत किए गए अन्य साक्ष्य जो कि न्यायिक विज्ञान प्रयोग

शाला की रिपोर्ट प्र.सी. 1 का जहाँ तक प्रश्न है, उक्त रिपोर्ट में आहतों से जप्त किए गए कपड़ों फुल पेंट एवं सेन्डो बनियान में से फुल पेंट पर गन शॉट के छिद्र पाए गए हैं जबकि सेन्डो बनियान पर कोई गनशॉट छिद्र नहीं पाए गए हैं। मात्र फुल पेंट पर गनशॉट के छिद्र पाए जाने के आधार पर, आरोपीगण के विरुद्ध अपराध की प्रामाणिकता का आधार नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त परीक्षण हेतु भेजे गए 12 बोर के खोखे को पिस्तौल ए1 से चलाया जाना के संबंध में उक्त रिपोर्ट का जहाँ तक प्रश्न है, मात्र इस आधार पर भी आरोपीगण या किसी आरोपी के अपराध में संलग्न होने बावत् कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

23. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में घटना दिनांक को आरोपीगण के द्वारा घटनास्थल पर विधि विरुद्ध जमाव का गठन कर उसके सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कार्य करते हुए फरियादीगण पर बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित करने और इस दौरान आरोपी प्रीतम को छोड़कर शेष आरोपीगण के घातक आयुध से सुसज्जित होकर बलवा कारित करने के संबंध में एवं उक्त दिनांक को आरोपीगण के द्वारा आहतों को जान से मारने की उद्देश्य से उन पर प्राण घातक हमला कारित किये जाने के संबंध में अभियोजन प्रकरण की प्रामाणिकता सिद्ध होनी नहीं पाई जाती है।

बिन्दु क्रमांक 5 व 6:-

24. अभियोजन प्रकरण के अनुसार आरोपी देवीसिंह से एक 12 बोर के कट्टा और एक 12 बोर का जिंदा राउण्ड और एक खोखा बरामद किया गया था जो कि आरोपी के द्वारा घटना में प्रयुक्त किया गया था। उक्त जप्त किए गए अग्नेयशस्त्र को रखने हेतु आरोपी देवीसिंह के पास कोई भी वैध अनुज्ञप्ति नहीं थी। इसी प्रकार आरोपी संजू उर्फ संजय से एक 315 बोर 315 बोर का कट्टा बरामद किया गया था जो कि उसके द्वारा घटना में प्रयुक्त किया गया था एवं जिसे रखने हेतु उसके पास कोई वैध अनुज्ञप्ति नहीं थी।

25. आरोपी देवीसिंह से अग्नेयशस्त्र की जप्ती का जहाँ तक प्रश्न है, इस बिन्दु पर अभियोजन साक्षी देवलाल धनेले अ0सा0 16 के द्वारा यह बताया गया है कि दिनांक 05.02.2010 को आरोपी देवीसिंह को गिरफ्तार किया गया था तथा दिनांक 07.02.2010 को आरोपी देवीसिंह से पूछताछ की और पूछताछ में उसके द्वारा यह बताया गया कि कट्टा उसने गांव में बने स्कूल के पास खण्डों में छिपाकर रख दिया है चलो बरामद कराए देता हूँ। आरोपी के इस संबंध में मेमोरेण्डम प्र.पी. 24 लेखबद्ध किया गया था जिस पर कि ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी के पेश करने पर एक 12 बोर का कट्टा और एक जिंदा राउण्ड व एक 12 बोर का खोखा जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 25 तैयार किया गया और

उन्हें शीलबंद किया गया। जप्तशुदा कट्टा आर्टिकल ए1 के रूप में उनके द्वारा बताया गया है।

26. उक्त संबंध में साक्षी देवलाल धनेले जो कि जप्तीकर्ता अधिकारी भी हैं के द्वारा प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया गया है कि जप्ती पंचनामा प्र.पी. 25 के साक्षी राधाकृष्ण और उमेश शर्मा थाना एण्डोरी में पदस्थ उनके अधीनस्थ कर्मचारी थे। कट्टे की जप्ती के स्थान को स्कूल के पास ग्राम खनेथा में होना बताया है और इस बात को स्वीकार किया है कि वह स्थान खुला है जहाँ पर सामान्य जन आ जा सकते हैं और इस बात को भी स्वीकार किया है कि जप्ती पत्रक प्र.पी. 25 में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि आरोपी देवीसिंह उर्फ गुड्डू के द्वारा खनेथा स्कूल के पास से जाकर कट्टा निकालकर दिया गया।

27. यह भी उल्लेखनीय है कि आरोपी देवीसिंह से पूछताछ कर मेमोरेण्डम कथन प्र. पी. 24 लेखबद्ध किया जाना एवं उससे जप्ती पत्रक प्र.पी. 25 के अनुसार कट्टा की जप्ती के संबंध में कोई भी स्वतंत्र साक्षी नहीं बनाए गए हैं, जबकि स्वतंत्र साक्षी वहाँ मिल सकते थे जिन पुलिस अधिकारियों के समक्ष जप्ती की कार्यवाही की जानी बताई गई है, उनका परीक्षण भी अभियोजन के द्वारा नहीं कराया गया है। इस प्रकार उक्त जप्ती की कार्यवाही का समर्थन किसी भी अन्य साक्षी के कथन के आधार पर नहीं होता है।

28. अभियोजन के द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि पुलिस अधिकारी के द्वारा स्पष्ट रूप से आरोपी के मेमोरेण्डम के आधार पर उसके आधिपत्य से उक्त अग्नेयशस्त्र की जप्ती के संबंध में बताया गया है। उक्त अग्नेयशस्त्र परीक्षण हेतु राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया है, राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में भी 12 बोर का देशी निर्मित पिस्तौल होना पाया गया है जो कि चालू हालत में था और जप्तशुदा कारतूस को भी चालू हालत में होना पाया गया है। आरोपी के विरुद्ध आयुध अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन चलाए जाने की स्वीकृति जिला दण्डाधिकारी के द्वारा दी गई है जैसा कि इस संबंध में योगेन्द्रसिंह अ0सा0 7 आर्म्स क्लर्क जिला दण्डाधिकारी कार्यालय भिण्ड के द्वारा अभियोजन स्वीकृति बावत् प्र.पी. 14 की स्वीकृति तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी रघुराज राजेन्द्रन के द्वारा दी जाने के तथ्य को प्रमाणित किया है।

29. यद्यपि यह सत्य है कि जप्तीकर्ता अधिकारी देवलाल धनेले के द्वारा आरोपी देवीसिंह के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर उससे एक 12 बोर की पिस्तौल व 12 बोर का एक जिंदा राउण्ड व खोखा जप्त होना बताया है, किन्तु उक्त संबंध में साक्षी देवलाल धनेले के प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से यह आया है कि उक्त जप्ती स्कूल के पास से की गई

थी जो कि खुला हुआ स्थान है और उस खुले हुए स्थान पर कोई भी आ जा सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि जप्ती के तथ्य को पुष्ट करने हेतु कोई समर्थनकारी साक्ष्य अभियोजन के द्वारा नहीं कराई गई है। ऐसी दशा में मात्र इस संबंध में जप्तीकर्ता अधिकारी देवलाल धनेले अ0सा0 16 के कथन पर विश्वास करते हुए आरोपी से ही उक्त अग्नेयशस्त्र की जप्ती होने का तथ्य संदेह से परे प्रमाणित होना माना जाना कदापि सुरक्षित नहीं है। इस प्रकार आरोपी से अग्नेयशस्त्र की जप्ती का तथ्य प्रमाणित होना नहीं होता है।

30. उक्त परिप्रेक्ष्य में जबकि आरोपी के आधिपत्य से अग्नेयशस्त्र की जप्ती का तथ्य प्रमाणित नहीं है, घटना के समय आरोपी के द्वारा अग्नेयशस्त्र के उपयोग करने के संबंध में फरियादी या किसी भी अभियोजन साक्षी के द्वारा अपने साक्ष्य में नहीं बताया गया है। मात्र इस आधार पर कि राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला की परीक्षण रिपोर्ट में परीक्षण 12 बोर की पिस्तौल और राउण्ड को जिंदा हालत में पाया गया है, के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी के द्वारा उक्त बताए हुए अग्नेयशस्त्र को घटना कारित करने हेतु उपयोग में लाया गया है, ऐसी दशा में आरोपी देवीसिंह उर्फ गुड्डू से अग्नेयशस्त्र की जप्ती का तथ्य एवं उक्त अग्नेयशस्त्र को घटना कारित करने हेतु उपयोग में लाए का तथ्य प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है।

31. जहाँ तक सहआरोपी संजू उर्फ संजय से की गई अग्नेयशस्त्र की जप्ती का प्रश्न है, इस संबंध में अभियोजन साक्षी संजीव दुवे अ0सा0 18 के द्वारा दिनांक 22.03.10 को आरोपी संजू उर्फ संजय को गिरफ्तार करना एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 27 तैयार करना तथा दिनांक 24.03.2010 को आरोपी संजू उर्फ संजय से पूछताछ कर उसके द्वारा बताया गया कि कट्टा उसने घर के गेट के सामने बने कमरे के टांड पर रख दिया है और बरामद करा देता हूँ। जिस पर मेमोरेण्डम कथन प्र.पी. 28 लेखबद्ध किया गया। आरोपी संजू उर्फ संजय के द्वारा अपने कमरे से निकालकर पेश करने पर 315 बोर का कट्टा चालू हालत में जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 12 तैयार किया गया है जिस पर सी से सी भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। जप्तशुदा कट्टा आर्टिकल बी1 के रूप में साक्षी ने पहचाना है।

32. जप्तीकर्ता अधिकारी संजीव दुवे के प्रतिपरीक्षण में आया है कि आरोपी संजू को दिनांक 22.03.2010 को गिरफ्तार किया था और आरोपी से दिनांक 24.03.2010 को गिरफ्तारी के दो दिन बाद थने पर पूछताछ की थी और इस बात को भी स्वीकार किया है कि प्र0आर0 हरगोविंद तथा प्र0आर0 सुरेन्द्रसिंह उनके अधीनस्थ कर्मचारी हैं जो कि उनके थाने में ही पदस्थ थे। आरोपी के मकान में 5-6 कमरे बने हुए हैं, कौन सी दिशा के कमरे से कट्टा निकाल था वह नहीं बता सकता है। जप्ती करने जब वह गया था तो पहले अपनी जामा

तलाशी का भी पंचनामा नहीं बनाया था और न ही उपस्थित पंचों के द्वारा कोई जामा तलाशी ली गई थी। कट्टे की जप्ती के समय साक्षी पुलन्दर और सतेन्द्र उसके साथ होना बताया है।

33 यह उल्लेखनीय है कि आरोपी संजय उर्फ संजू जिसे कि दिनांक 22.03.2010 को 20:57 बजे एण्डोरी में गिरफ्तार किया गया है उससे दिनांक 24.03.2010 को 12:40 बजे पूछताछ की जानी बताई गई है जो कि पुलिस अभिरक्षा में उससे पूछताछ करने के संबंध में उल्लेख आया है। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त मेमोरेण्डम के साक्षी हरगोविंद सिंह व सुरेन्द्रसिंह का कोई परीक्षण अभियोजन के द्वारा नहीं कराया गया है। आरोपी संजू उर्फ संजय के मेमोरेण्डम के आधार पर जप्ती का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में जप्ती पत्रक प्र.पी. 12 में बताए गए जप्ती के साक्षी पुलंदरसिंह अ0सा0 5 एवं सतेन्द्रसिंह अ0सा0 14 का परीक्षण अभियोजन के द्वारा कराया गया है, किन्तु उक्त दोनों ही स्वतंत्र साक्षियों के द्वारा आरोपी से किसी प्रकार की कोई जप्ती की कार्यवाही उनके समक्ष होने से इन्कार किया है। इस प्रकार जप्ती के स्वतंत्र साक्षियों के कथन के आधार पर आरोपी संजू उर्फ संजय से जप्ती का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है।

34. अभियोजन के द्वारा अपने तर्क में यह व्यक्त किया है कि आरोपी से अग्नेयशस्त्र 315 बोर के कट्टे की जप्ती जप्तीकर्ता अधिकारी संजीव दुवे के द्वारा प्रमाणित किया गया है और आरोपी के विरुद्ध अभियोजन चलाए जाने हेतु स्वीकृति जिला दण्डाधिकारी भिण्ड के द्वारा दी गई है जैसा कि इस संबंध में योगेन्द्रसिंह अ0सा0 7 आर्म्स क्लर्क जिला दण्डाधिकारी कार्यालय भिण्ड के द्वारा अभियोजन स्वीकृति बावत् प्र.पी. 14 की तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी रघुराज राजेन्द्रन के द्वारा दी जाने के तथ्य को प्रमाणित किया है। इसके अतिरिक्त राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट से भी कट्टा 315 बोर के कारतूस को चलाए जाने हेतु बनाया जाने के बारे में उल्लेख आया है। उपरोक्त संबंध में यद्यपि साक्षी संजीव दुवे के द्वारा आरोपी से अग्नेयशस्त्र की जप्ती होना बताया जाना, किन्तु उसके मेमोरेण्डम एवं मेमोरेण्डम के आधार पर जप्ती का समर्थन किसी भी अन्य साक्ष्य या स्वतंत्र साक्षी के आधार पर सम्पुष्टि नहीं होती है। मात्र विवेचना अधिकारी के कथन के आधार पर विश्वास करते हुए इस संबंध में जप्ती की कार्यवाही संदेह से परे प्रमाणित मानी जानी कदापि सुरक्षित नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि जप्तशुदा बताए गए अग्नेयशस्त्र को राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में चालू हालत में भी होना नहीं पाया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में मात्र अभियोजन चलाए जाने की स्वीकृति के आधार पर आरोपी के विरुद्ध जबकि उससे जप्ती का तथ्य युक्तियुक्त रूप से प्रमाणित नहीं है उसके आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं मानी जा सकती है।

35. उक्त परिप्रेक्ष्य में जबकि आरोपी संजय उर्फ संजू के आधिपत्य से अग्नेयशस्त्र की जप्ती का तथ्य प्रमाणित नहीं है, घटना के समय आरोपी के द्वारा अग्नेयशस्त्र के उपयोग करने के संबंध में फरियादी या किसी भी अभियोजन साक्षी के द्वारा अपने साक्ष्य में नहीं बताया गया है और राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में भी उक्त अग्नेयशस्त्र चालू हालत में होना नहीं पाया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में आरोपी के द्वारा उक्त बताए हुए अग्नेयशस्त्र को घटना कारित करने हेतु उपयोग में लाया गया हो ऐसा नहीं माना जा सकता है। ऐसी दशा में आरोपी संजू उर्फ संजय से अग्नेयशस्त्र की जप्ती का तथ्य एवं उक्त अग्नेयशस्त्र को घटना कारित करने हेतु उपयोग में लाए का तथ्य प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है।

36. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में आई हुई समग्र साक्ष्य के आलोक में आरोपीगण के विरुद्ध विचारित किये जा रहे आरोप की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं पाई जाती है। अभियोजन प्रकरण को प्रमाणित होना न पाते हुए आरोपी देवीसिंह उर्फ गुड्डू एवं संजू उर्फ संजय को धारा 307 विकल्प में धारा 307/149, 148, भा0दं0वि0 एवं धारा 25(1-बी)ए एवं धारा 27 आयुध अधिनियम के आरोप से एवं आरोपी प्रीतमसिंह को धारा 307/149, 147 भा0दं0वि0 के आरोप से, जबकि शेष आरोपीगण पप्पू उर्फ इन्द्रसिंह, सुनीलसिंह, सोबरनसिंह, टोनी उर्फ नरेन्द्र, किशनपाल, सामन्तसिंह, को धारा 307/149, 148 भा0दं0वि0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

37. प्रकरण में जप्तशुदा 12 बोर का देशी पिस्तौल व एक जिंदा सउण्ड 12 बोर का व एक खोखा एवं एक 315 बोर का देशी पिस्तौल अपील अवधि पश्चात् उचित निराकरण हेतु जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को भेजी जावे। प्रकरण में जप्तशुदा एक बांस की लाठी, व कपडे पेंट व बनियान मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जाए। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड